स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

10.1 संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध, जिनके अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है, विनिर्दिष्ट करते हैं : (क) अनुच्छेद 280 के खंड (3) में यथानिर्धारित अनिवार्य विचारार्थ विषय और (ख) ऐसे अन्य मामले जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा "सुदृढ़ वित्त के हित में" आयोग को निर्दिष्ट किए जाएं। राष्ट्रपति के दिनांक 15 जून, 1992 के आदेश द्वारा इस आयोग के गठन तक, अनुच्छेद 280(3) के तहत अनिवार्य विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे:

अनुच्छेद 280(3)

- "(क) संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों का वितरण, जिन्हें इस अध्याय के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकेगा, और उक्त आगमों की राज्यों के बीच संबंधित हिस्सेदारियों का आवंटन;
- (ख) वे सिद्धांत जो राज्यों के राजस्व को बढ़ाने हेतु भारत की समेकित निधि से राज्यों हो हस्तांतरित किए गए सहायता अनुदान को शासित करते हों।"
- 10.2 इस आयोग के गठन के उपरांत, अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य अनिवार्य दायित्व का उपबंध करने हेतु संशोधन किया गया है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 280 के खंड 3 में दो नए उप-खंड (bb) और (c) शामिल किए गए हैं। ये उप-खंड आयोग के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वह "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों/नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों" की सिफारिश करे।
- 10.3 केंद्रीय ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय, कई राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महिला आयोग और राजीव गांधी फाउंडेशन ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हमारे कार्यकाल के दौरान राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। तथापि, उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि आयोग को राज्यों के संसाधनों के वर्धन हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करनी चाहिए तािक उन्हें नव-गठित संवैधानिक निकायों, यथा पंचायतों और नगरपािलकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने में सक्षम बनाया जा सके। यह मानते हुए कि राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टें 1995 के मध्य से पहले उपलब्ध नहीं होंगी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि "यद्यपि दसवां वित्त आयोग राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता, परंतु वह पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के विषय को अछूता भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इसका मतलब उस प्रमुख क्षेत्र की अनदेखी करना होगा जो पूरे देश में प्रशासन के बुनियादी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी राय में, दसवें वित्त आयोग को पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक उपायों पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए।" आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने भी लगभग इसी तरह का तर्क दिया था। ऐसी ही एक तर्क शहरी विकास मंत्रालय ने भी दिया है। उसने यह तर्क दिया है कि "स्वशासन का तीसरा स्तर संवैधानिक रूप से ऐसे समय में स्थापित किया गया है जब लगभग सभी राज्य गंभीर वित्तीय संकट से पीड़ित हैं। इसके अलावा, राज्यों का संसाधन आधार अपेक्षाकृत सीमित है। स्वशासन, स्वायत्तता की भावना को दर्शाता है। संसाधनों तक पहुंच के संबंध में कुछ हद तक स्वतंत्रता के बिना

स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम को अक्षरश: लागू करने हेतु, नगरपालिकाओं की संसाधनों तक पहुंच के लिए अभी से पर्याप्त उपबंध करने होंगे।"

- 10.4 कई राज्यों ने यह कहा कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के अभाव में भी, राज्य की समेकित निधि में वृद्धि के लिए प्रावधान करना आवश्यक होगा, जिससे कि राज्य को स्थानीय निकाय स्थापित करने में, उनके चुनाव कराने में और उनके संसाधनों की अनुपूर्ति करने में सक्षम बनाया जा सके। असम ने हमसे राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 88.45 करोड़ रुपये के अंतर को पाटने का अनुरोध किया है। कामताका ने पंचायतों के लिए 372.93 करोड़ रुपए का दावा किया है। उड़ीसा ने राज्य की नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के लिए 492 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराने को कहा है। राजस्थान ने पांच वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश ने पंचायतों के लिए 158.55 करोड़ रुपये की मांग की है। बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी अपने संसाधन आधार को मजबूत बनाने के लिए तर्क दिया है तािक वे पंचायतों और नगर निकायों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के अपने संवैधानिक दाियत्व को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।
- 10.5 अनुच्छेद 280 (3) के संशोधन के बाद हमारे विचारार्थ विषय में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हमें संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्निहित प्रयोजन, उद्देश्य और भावना का संज्ञान लेते हुए राज्य के संसाधनों (पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से) को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करनी चाहिए, या कर सकते हैं।
- 10.6 अनुच्छेद 280 के उपखंड (bb) और (c) में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश पंचायतों/नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए "राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय" के संबंध में राष्ट्रपति को की गई हमारी सिफारिश का आधार होगी। राज्य वित्त आयोगों का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 243-भूमि एवं अनुच्छेद 243-Y के अनुसार, राज्य वित्त आयोग से पंचायतों/नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच साझा करने योग्य करों, ड्यूटी, पथकरों और शुल्कों/फीस के आगमों के वितरण व हिस्सेदारियों के सिद्धांतों के बारे में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजने की अपेक्षा की गई है। आयोग से राज्यपाल को पंचायतों/नगरपालिकाओं की "वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों" की सिफारिश करने की भी अपेक्षा की गई है।
- 10.7 अनुच्छेद 280 (3) के तहत, "वित्त आयोग" का "कर्तव्य" है कि वह "राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों" के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करे, जब राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उसके पास उपलब्ध हो जाएं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के 'आधार' पर, वित्त आयोग को पहले राज्य की समेकित निधि में वृद्धि की "आवश्यकता" का निर्धारण करना होगा तत्पश्चात उन 'उपायों' की सिफारिश करनी होगी, जिनमें संसाधनों के हस्तांतरण की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि जब राज्य वित्त आयोग अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, तो वित्त आयोग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह राज्यों के व्यय प्रवाह का आकलन करे और उसमें पंचायतों/नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता का निर्धारण करे। यह राज्य समेकित निधि की वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के लिए जरूरी होगा।
- 10.8 चूंकि वर्तमान में राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 280(3) के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए इस आयोग को कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 275 के संदर्भ

में, आयोग को ऐसे राज्यों के राजस्वों के लिए अनुदान सहायता के संबंध में सिफारिश करने से भी नहीं रोका गया है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता के लिए माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में, हमें इस पर विचार करना होगा कि यदि हम संवैधानिक संशोधनों के परिणामस्वरूप स्थानीय स्व-शासन के राज्य वित्तों पर पड़ने वाले प्रभावों को नज़रअंदाज करते हैं, तो क्या हम अपने कर्तव्य में सफल होंगे या नहीं।

10.9 हमारी सिफ़ारिशों की समयाविध पाँच वर्ष अर्थात 1995-2000 है। इस संपूर्ण अविध में नई पंचायतों/ नगरपालिकाओं का गठन और सुदृढ़ीकरण होगा। अब संविधान संघ की सहायता से राज्यों द्वारा उनके संसाधनों की अनुपूर्ति की परिकल्पना करता है। इसलिए, यह मानना गलत नहीं होगा कि राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने के उपायों पर समुचित विचार करने के लिए संबंधित राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का इंतजार किया जाना चाहिए ताकि राज्यों की समेकित निधि में तदर्थ वृद्धि संशोधनों की भावना के अनुरूप हो।

10.10 पंचायतें/नगर पालिकाएं हमारे संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में देर से शामिल हुईं, लेकिन राज्य या संघ के कार्यों के बजाय, उनके द्वारा किए गए कार्यों और नहीं किए गए कार्यों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों और लोगों के कल्याण पर सीधे असर पड़ने की संभावना है। इसलिए, हमारे विचारार्थ विषयों द्वारा हम पर डाली गई बाधाओं के बावजूद, हम पंचायतों/नगर पालिकाओं के लिए राज्यों को सहायता देने पर विचार करने के इच्छुक हैं।

10.11 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से पंचायतों के वित्तों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है और प्रकाशित आंकड़े केवल वर्ष 1976-77 से ही संबंधित हैं। इन आँकड़ों के आधार पर, वर्ष 1992-93 के लिए दो पूर्वानुमान प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक अनुमान पंचायतों को आवंटित करों और अनुदानों से प्राप्त हिस्से पर आधारित है और दूसरा राज्यों के स्वयं के संसाधनों के अनुपात पर आधारित है जो पंचायतों को उपलब्ध कराए गए हैं। 1976-77 में, सभी राज्यों को मिलाकर, पंचायतों को सौंपे गए करों और अनुदानों की प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी 14.75 रुपये आकलित की गई थी। वर्ष 1992-93 के लिए प्रति व्यक्ति आंकड़ा 54.87 रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तत्पश्चात इसे 62.87 करोड़ की ग्रामीण आबादी के नवीनतम जनगणना आंकड़े के साथ गुणा किया गया, तािक अपेक्षित रािश 3445 करोड़ रुपये निकाली जा सके, जिसे 3500 करोड़ रुपये पूर्णांकित किया गया है।

10.12 हालाँकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस विकल्प की सिफारिश नहीं की है क्योंकि उनके विचार में यह 1976-77 के स्तर पर अनुदान को रोकने जैसा होगा। इसके बजाय, दूसरे विकल्प पर विचार किया गया जो राज्यों के स्वयं के राजस्व के अनुपात के रूप में पंचायतों को करों और अनुदानों की हिस्सेदारी की बात कहता है। यह दावा किया जाता है कि 1976-77 में सभी राज्यों के लिए पंचायतों को दिए गए कर और अनुदान सभी राज्यों के संसाधनों का 12.02 प्रतिशत थे। मंत्रालय का विचार है कि राज्यों के स्वयं के संसाधनों की प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित करों और अनुदान के माध्यम से पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे बढ़ाना होगा। 1976-77 में, सभी राज्यों द्वारा पंचायतों को दिए गए कुल करों और अनुदानों के 87 प्रतिशत में केवल चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का योगदान था। शेष राज्यों का कुल मिलाकर योगदान केवल 13 प्रतिशत था। मंत्रालय का विचार है कि "उन्हें (पंचायतों को) विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए निमित्त राज्यों के कुल संसाधनों के न्यूनतम 15 प्रतिशत का प्रावधान दिया जाना जरूरी है"। इस आधार पर और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों के 1992-93 के संशोधित अनुमान को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि "10वें वित्त

आयोग द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान राज्यों (और संघ राज्य क्षेत्रों) के स्वयं के संसाधनों में से पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किए जाने के लिए विशेष रूप से 7,500 करोड़ रुपये की राशि निमित्त करना उचित होगा।"

- 10.13 पंचायतों के साथ कर साझा करने और उन्हें अनुदान आवंटित करने की जिम्मेदारी राज्यों से केंद्र को हस्तांतिरत नहीं की गई है। पंचायतों को राजस्व का एक स्वतंत्र स्रोत और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान प्रदान करने की जिम्मेदारी काफी हद तक राज्य सरकारों की है। राज्य और पंचायतों के बीच संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोग मौजूद हैं। यदि पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति की प्रक्रिया में राज्य समेकित निधि में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उस पर वित्त आयोग द्वारा शीघ्रता से विचार करना होगा। 1976-77 में पंचायतों को उपलब्ध कराए गए राज्यों के स्वयं के संसाधनों का प्रतिशत इस बात का संकेतक हो सकता है कि राज्यों को पंचायतों की मदद के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन यह किसी राज्य की समेकित निधि का केंद्र सरकार द्वारा वर्धन करने के लिए एक मानक नहीं हो सकता। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में कई वर्षों से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसा कि अब संविधान के 73वें संशोधन में उपबंधित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 1976-77 के आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात में निर्धारित करों की हिस्सेदारी राज्यों के स्वयं के संसाधनों का 29.60 प्रतिशत था और अनुदान का कुल 22.90 प्रतिशत था। चूंकि कई अन्य राज्यों में इस प्रकार की संस्थाएं मौजूद नहीं हैं, इसलिए उन्होंने पंचायतों को तुलनात्मक स्तर पर संसाधन हस्तांतरित नहीं किए।
- 10.14 संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, राज्य को कई कार्य पंचायतों को हस्तांतिरत करने होंगे। यह माना जा सकता है राज्य द्वारा पंचायतों को कार्य और जिम्मेदारियां हस्तांतिरत करने के अतिरिक्त इन योजनाओं/परियोजनाओं पर पहले से ही कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ हस्तांतिरत गितविधियों पर खर्च करने हेतु बजटीय एवं परिकल्पित वित्तीय आवंटन भी हस्तांतिरत किए जाएंगे। इसलिए, इस तरह के हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना नहीं है। राज्य अभी भी पंचायतें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं और ऐसे में पंचायतों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। फिर भी, यह कल्पना की जा सकती है कि स्थानीय निकाय जब अपने गठन के बाद अपना कार्य निरंतर रूप से करना शुरु कर देंगे, तब शुरुआती चरणों में राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। कुछ राज्यों ने पहले ही सूचित किया है कि नए सिरे से परिसीमन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है। यहां तक कि मौजूदा बुनियादी ढांचा और पंचायतों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, बुनियादी ढांचा सुविधाओं सहित न केवल अतिरिक्त सेट-अप प्रदान करने के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु प्रारंभिक आवश्यकता होगी, बल्क इन निकायों से लोगों की बढ़ी हुई उम्मीदें भी होंगी।
- 10.15 संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसरण में, राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक 'उपायों' पर विचार करते समय, हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि जवाहर रोजगार योजना (जेएवाई) और अन्य जिला स्तरीय योजनाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है। भविष्य में इन राशियों को पंचायतों के माध्यम से हस्तांतरित किये जाने की संभावना है। भले ही इसका अधिकांश भाग विशिष्ट कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए आबद्ध हो, फिर भी यह विवेकाधीन कार्यक्रमों को शुरु करने के लिए कुछ गुंजाइश जरूर छोड़ेगा। तथापि, पंचायतों को अनाबद्ध निधियों के कॉर्पस की अनुपूर्ति करनी होगी। फिर भी, हम मानते हैं कि पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य समेकित निधि को बढ़ाने हेतु उपायों की आवश्यकता वास्तव में 1996-97 तक नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पंचायतें अभी तक क्रियाशील नहीं हुई हैं।
- 10.16 उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमने अपने राज्यों के लिए विशिष्ट अनुदानों का तदर्थ प्रावधान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह अनुमान 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण आबादी के संदर्भ में लगाया गया है। भारत में सभी राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या 4,380.93 लाख थी। पंचायतों की अधिकांश वित्तपोषण आवश्यकताओं की पूर्ति राज्यों और उनके स्वयं के

संसाधनों के हस्तांतरण से किए जाने की संभावना है। हम ग्रामीण आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये का तदर्थ प्रावधान कर रहे हैं। सभी राज्यों के आंकड़े अनुलग्नक X.1 में दर्शाए गए हैं। यह राशि पंचायती राज संस्थाओं के बीच उनके निर्धारित करों, ड्यूटी, पथकरों, शुल्कों, हस्तांतरित गतिविधि संबंधी बजटों और अनुदानों में उनकी हिस्सेदारी के अलावा, उनके देय से अधिक वितरित की जानी चाहिए। यहां तक कि उन राज्यों में भी, जहां पंचायतों की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पना की गई है, समान स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता होगी।

10.17 संविधान के 74वें संशोधन के अनुसरण में, नगर निकायों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के संबंध में, शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए। अपनी बात के समर्थन में, मंत्रालय ने बताया है कि 1981-91 के बीच शहरी आबादी 159 मिलियन से बढ़कर 217 मिलियन हो गई थी। इसमें एक दशक में 36 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 तक शहरी आबादी 300 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। 1991 में शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी लगभग 46.62 मिलियन थी। वर्ष 2001 तक इसके 63.76 मिलियन होने का अनुमान है। शहरी आबादी में वृद्धि, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी में वृद्धि, शहरी स्थानीय सरकारों के अल्प संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है जिन्हें अब जल निकासी सुविधाएं, कचरा निपटान, शौचालय, स्ट्रीट लाइटिंग आदि जैसी बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए, शहरी विकास मंत्रालय ने निवेदन किया है कि नगर निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे कम से कम अपने मूलभूत कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सक्षम हो सकें। शहरी नागरिक सेवाओं के चरमराने से उत्पन्न खतरे को महामारी के प्रकोप द्वारा दुखद रूप से चित्रित किया गया है। ये शहरी समुदायों में नागरिक सेवाओं की उपेक्षा का परिचायक है

10.18 राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा शहरी भारत में प्रमुख नगरपालिका सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय आवश्यकताओं हेतु किया गया एक अनुमान यह इंगित करता है कि 1995 में अनुमानित अंतर 5,987 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000 में इसके 12,980 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। यद्यपि, इन अनुमानों की यथार्थता और अंतर को पाटने के लिए राज्य और शहरी स्थानीय निकाय जो उपाय अपना सकते हैं, उन पर राज्य वित्त आयोगों द्वारा चर्चा और अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि हमारी सिफारिश के अंतर्गत आने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों को उनके बुनियादी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने में काफी मददगार साबित होगा। अनुलग्नक X.2 में दर्शाई गई इस राशि का अंतर-राज्यीय वितरण 1971 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी के आंकड़ों से प्राप्त झुग्गी-झोपड़ी आबादी के अंतर-राज्य अनुपात पर आधारित है।

10.19 यद्यपि, हमने पंचायतों/नगरपालिकाओं को उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अनुदान हेतु ये प्रावधान किए हैं, जरूरी नहीं कि यह भविष्य के आयोगों के लिए कोई उदाहरण हो। किसी भी स्थित में राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद, संसाधन के वर्द्धन के लिए आवश्यक उपायों की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार निर्धारित की जानी होगी। वर्तमान के लिए, हमारे द्वारा अनुशंसित अनुदानों की जानकारी राज्य वित्त आयोगों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ये राशियाँ राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त होनी चाहिए। उन्हें अनुदान के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ उपयुक्त योजनाएँ बनानी चाहिए। स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे संसाधन जुटाकर अपना समतुल्य योगदान दें। अनुदान का उपयोग वेतन और मजदूरी पर व्यय के लिए नहीं है।

10.20 राज्यों को समस्त प्रावधान 1996-97 से शुरु करते हुए चार समान किश्तों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसा कि अनुलग्नक X.3 में दर्शाया गया है क्योंकि इससे पहले ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के पूरी तरह से कार्यात्मक होने की संभावना नहीं है।